अध्याय–I : सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूप आंकड़ों की स्थिति तालिका 1.1.1 में दर्शायी गयी है ।

तालिका 1.1.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18
1	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व[1]	33,477.70	38,672.87	42,712.92	44,371.66	50,605.41
	• कर-इतर राजस्व[2]	13,575.25	13,229.50	10,927.87	11,615.57	15,733.72
	योग	**47,052.95**	**51,902.37**	**53,640.79**	**55,987.23**	**66,339.13**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में भाग[3]	18,673.07	19,817.04	27,915.93	33,555.86	37,028.01
	• सहायतार्थ अनुदान[4]	8,744.35	19,607.50	18,728.40	19,482.91	23,940.04
	योग	**27,417.42**	**39,424.54**	**46,644.33**	**53,038.77**	**60,968.05**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 और 2)**	**74,470.37**	**91,326.91**	**1,00,285.12**	**1,09,026.00**	**1,27,307.18**
4	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**63**	**57**	**53**	**51**	**52**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विगत पांच वर्षों के दौरान एकत्रित राजस्व में सतत् वृद्धि रही । वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 66,339.13 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,27,307.18 करोड़) का 52 प्रतिशत रहा । वर्ष 2017-18 में शेष

---

1 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.2 देखें ।

2 ब्यौरे के लिये कृपया इस अध्याय की तालिका संख्या 1.1.3 देखें ।

3 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-14-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें । वित्त लेखों में 'कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद शीर्ष 0005-केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर, 0008-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-संपदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर और 0045- वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क-प्राप्तियां एवं विभाजित होने वाले संघीय कर' सम्मिलित हैं ।

4 ब्यौरे के लिये कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 14 में शीर्ष 1601 देखें ।

48 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में हिस्सा एवं सहायतार्थ अनुदान से प्राप्त हुई थी ।

1.1.2 अवधि 2013-14 से 2017-18 के दौरान एकत्रित कर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**राजस्व शीर्ष**	**संशोधित अनुमान वास्तविक**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2017-18 में 2016-17 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता**
1	बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	संशोधित अनुमान	20,300.00	24,120.00	27,635.00	27,767.60	18,800.00	
		वास्तविक	19,834.72	22,644.89	24,878.67	27,151.54	18,285.44	(-) 32.65
	केन्द्रीय बिक्री कर	संशोधित अनुमान	1,450.00	1,505.00	1,615.00	1,227.40	700.00	
		वास्तविक	1,380.79	1,525.02	1,466.10	1,406.88	722.80	(-) 48.62
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर[5]	संशोधित अनुमान	-	-	-	-	11,700.00	
		वास्तविक	-	-	-	-	12,137.02	
3	आबकारी शुल्क	संशोधित अनुमान	4,625.00	5,330.00	6,350.00	7,600.00	7,800.00	
		वास्तविक	4,981.59	5,585.77	6,712.94	7,053.68	7,275.83	(+) 3.15
4	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क							
	मुद्रांक-न्यायिक	संशोधित अनुमान	144.00	156.66	105.00	103.34	92.58	
		वास्तविक	104.59	54.27	97.45	73.94	59.78	(-) 19.15
	मुद्रांक-गैर न्यायिक	संशोधित अनुमान	2,706.00	2,823.35	2,785.00	2,701.00	3,346.15	
		वास्तविक	2,577.76	2,705.10	2,574.88	2,502.86	3,070.79	(+) 22.69
	पंजीयन शुल्क	संशोधित अनुमान	500.00	520.00	560.00	445.66	611.27	
		वास्तविक	442.98	429.52	561.67	476.45	544.21	(+) 14.22
5	मोटर वाहनों पर कर	संशोधित अनुमान	2,550.00	2,800.00	3,300.00	3,650.00	4,300.00	
		वास्तविक	2,498.90	2,829.86	3,199.44	3,622.83	4,362.97	(+) 20.43
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	1,406.63	1,697.18	2,000.00	2,172.00	3,500.00	
		वास्तविक	948.93	1,534.51	1,921.29	738.24	3,376.67	(+)357.39
7	भू-राजस्व	संशोधित अनुमान	365.76	324.69	320.00	359.01	566.71	
		वास्तविक	337.98	288.58	272.47	314.69	363.86	(+) 15.62
8	माल एवं यात्रियों पर कर	संशोधित अनुमान	300.00	360.00	800.00	750.00	328.00	
		वास्तविक	287.92	956.52	847.72	803.28	340.78	(-) 57.58
9	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	संशोधित अनुमान	55.01	99.99	171.79	200.00	62.00	
		वास्तविक	68.46	113.68	170.96	220.08	63.93	(-) 70.95
10	अन्य कर[6] इत्यादि	संशोधित अनुमान	50.00	50.17	50.20	10.00	10.00	
		वास्तविक	13.08	5.15	9.32	7.19	1.33	(-) 81.50
	योग	**संशोधित अनुमान**	**34,452.40**	**39,787.04**	**45,691.99**	**46,986.01**	**51,816.71**	
		वास्तविक	**33,477.70**	**38,672.87**	**42,712.92**	**44,371.66**	**50,605.41**	**(+) 14.05**
	पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**9.75**	**15.52**	**10.45**	**3.88**	**14.05**	

विगत पांच वर्षों से कुल कर राजस्व संग्रहण में लगातार वृद्धि रही किन्तु संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रत्येक वर्ष का कर संग्रहण कम रहा । तथापि, राजस्व वृद्धि का प्रतिशत वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक रहा ।

[5] नया शीर्षः जुलाई 2017 से भारत सरकार द्वारा जीएसटी लागू किये जाने के कारण जोड़ा गया है ।

[6] अन्य कर में आय तथा व्यय पर कर (वृत्ति, व्यापार, श्रम एवं रोजगार पर कर) एवं कृषि भूमि के अलावा अचल सम्पत्तियों पर कर भी शामिल हैं ।

'केन्द्रीय बिक्री कर' (48.62 प्रतिशत), 'माल एवं यात्रियों पर कर' (57.58 प्रतिशत) और 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क' (70.95 प्रतिशत) में कमी दिनांक 1 जुलाई 2017 से 'केन्द्रीय बिक्री कर', 'मूल्य परिवर्धित कर', 'प्रवेश कर', 'मनोरंजन कर' और 'विलासिता कर' को 'वस्तु एवं सेवा कर' में शामिल किये जाने के कारण रही और 'अन्य कर' (81.50 प्रतिशत) में कमी, भूमि पर कर में छूट दिये जाने के कारण रही। 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' (357.39 प्रतिशत) में वृद्धि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वर्ष 2016-17 के बकाया जमा कराने के कारण रही।

1.1.3 वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान एकत्रित कर-इतर राजस्व के संबंध में संशोधित अनुमान व वास्तविक प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1.3

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान वास्तविक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 में 2016-17 पर वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	संशोधित अनुमान	3,360.00	3,566.00	4,250.00	4,200.00	4,900.00	
	वास्तविक	3,088.66	3,635.46	3,782.13	4,233.74	4,521.52	(+) 6.80
ब्याज प्राप्तियां	संशोधित अनुमान	2,109.36	1,959.83	1,860.58	2,002.97	4,924.14	
	वास्तविक	2,142.49	2,065.39	1,982.39	1,933.37	4,858.90	(+) 151.32
विविध सामान्य सेवायें	संशोधित अनुमान	743.37	920.88	885.72	859.39	888.31	
	वास्तविक	846.36	963.85	700.90	660.70	762.36	(+) 15.39
पुलिस	संशोधित अनुमान	192.36	220.10	213.00	220.15	333.73	
	वास्तविक	167.27	240.03	162.02	190.78	296.56	(+) 55.45
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	संशोधित अनुमान	126.66	107.19	162.44	222.35	228.41	
	वास्तविक	147.38	133.21	161.98	210.51	207.55	(-) 1.41
वृहद एवं मध्यम सिचांई	संशोधित अनुमान	97.55	90.90	112.50	129.79	90.30	
	वास्तविक	80.62	67.08	68.72	112.77	277.72	(+) 146.27
वानिकी एवं वन्य जीवन	संशोधित अनुमान	87.39	80.20	111.65	123.95	173.82	
	वास्तविक	77.52	89.31	133.75	113.00	182.26	(+) 61.29
सार्वजनिक निर्माण	संशोधित अनुमान	67.87	74.76	79.51	95.30	107.37	
	वास्तविक	69.16	71.74	97.89	84.31	109.26	(+) 29.59
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	संशोधित अनुमान	72.86	105.07	108.99	115.74	152.34	
	वास्तविक	65.61	116.43	119.21	125.39	130.67	(+) 4.21
सहकारिता	संशोधित अनुमान	17.83	16.52	14.52	41.25	47.75	
	वास्तविक	18.80	16.88	14.64	44.10	63.11	(+) 43.11
अन्य कर-इतर प्राप्तियां[7]	संशोधित अनुमान	6,631.79	6,327.04	4,072.75	4,458.43	4,813.11	
	वास्तविक	6,871.38	5,830.12	3,704.24	3,906.90	4,323.81	(+) 10.67
योग	**संशोधित अनुमान**	**13,507.04**	**13,468.49**	**11,871.66**	**12,469.32**	**16,659.28**	
	वास्तविक	**13,575.25**	**13,229.50**	**10,927.87**	**11,615.57**	**15,733.72**	**(+) 35.45**
पूर्व वर्ष से वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत		**11.88**	**(-) 2.55**	**(-) 17.40**	**6.29**	**35.45**	

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2017-18 में कर-इत्तर राजस्व संग्रहण संशोधित अनुमान से कम रहा तथापि विगत वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रहण में कुल 35.45 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी रही। 'ब्याज प्राप्तियां' में बढ़ोत्तरी (151.32 प्रतिशत) मुख्यतः उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को दिये गये ऋण पर अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण रही। 'पुलिस' में बढ़ोत्तरी (55.45 प्रतिशत) भर्ती शुल्क की अधिक प्राप्ति के कारण रही। 'वानिकी

[7] अन्य कर-इतर प्राप्तियों में पेट्रोलियम, लोक सेवा आयोग, जेल, आवास, ग्राम तथा लघु उद्योग, मछली-पालन, लाभांश तथा लाभ, पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों में अंशदान और वसूली इत्यादि, शामिल हैं।

एवं वन्य जीवन' में बढ़ोत्तरी (61.29 प्रतिशत) तेन्दू पत्ता की नीलामी में अधिक प्राप्ति के कारण सहकारिता में बढ़ोत्तरी (43.11 प्रतिशत), 1,027 'ग्राम सेवा समिति' की लेखापरीक्षा विभागीय लेखापरीक्षकों द्वारा की जाकर लेखापरीक्षा शुल्क सीधे सरकारी खातों में जमा कराये जाने के कारण रही। शेष विभागों से जहां-जहां पर भी सारभूत अन्तर पाये गए, कारण जानने हेतु यद्यपि निवेदन किया गया (मई 2018 और अगस्त 2018), संबंधित विभागों द्वारा अवगत नही कराया गया (फरवरी 2019)।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2018 को राजस्व की बकाया की राशि ₹ 9,305.55 करोड़ थी, इसमें से ₹ 2,136.88 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	**राजस्व शीर्ष**	**1 अप्रैल 2017 को कुल बकाया राशि**	**31 मार्च 2018 को कुल बकाया और पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोत्तरी का प्रतिशत**		**31 मार्च 2018 को पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया राशि**
1	वाणिज्यिक कर*[8]	13,924.46	8,131.29	(-) 41.60	1,472.36
2	परिवहन*	74.20	61.29	(-) 17.40	33.88
3	भू-राजस्व*	632.88	515.69	(-) 18.52	275.47
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	305.23	247.40	(-) 18.95	80.58
5	राज्य आबकारी	200.57	193.86	(-) 3.35	191.66
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम*	192.50	156.02	(-)18.95	82.93
योग		**15,329.84**	**9,305.55**	(-) **39.30**	**2,136.88**

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

मांग राशि किन स्तरों पर बकाया थी की जानकारी चाहीं गई (मई 2018 एवं अगस्त 2018) लेकिन जानकारी प्राप्त नहीं हुई सिवाय पंजीयन एवं मुद्रांक और खान एवं भू-विज्ञान विभागों के जिन्होने बताया कि राशि ₹ 174.58 करोड़ और ₹ 63.43 करोड़ क्रमशः वसूल नहीं किये जा सके क्योंकि ये राशियां अपीलीय प्राधिकरणों एवं न्यायालयों के विभिन्न स्थगन आदेशों से आच्छादित थी।

[8] *31 मार्च 2017 के अन्त में दिखाई गई कुल बकाया से दिनांक 1 अप्रैल 2017 को दिखाई गई बकाया में अन्तर था (वाणिज्यिक कर ₹ 4,748.56 करोड़, परिवहन ₹ 55.34 करोड़, भू-राजस्व ₹ 593.57 करोड़, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम ₹ 143.09 करोड़) वाणिज्यिक कर, परिवहन और खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों द्वारा अवगत कराया गया कि आंकड़ों का पुनः मिलान (रिकन्साईलेशन) के कारण अन्तर रहा। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त मांग कायम किये जाने, जो कि पूर्व में शामिल नहीं की गयी थीं, के कारण दोनों राशियों में अन्तर रहा। भू-राजस्व विभाग से अन्तर के कारण प्राप्त नहीं हुए थे।

1.3 बकाया कर निर्धारण

वाणिज्यिक कर विभाग, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय प्रकरण, वर्ष के दौरान निस्तारित प्रकरण और वर्ष के अंत में निस्तारण से शेष रहे प्रकरणों का विवरण आगे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3

विभाग का नाम	प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2017-18 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया नये प्रकरण	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2017-18 के दौरान निस्तारित प्रकरण	वर्ष के अन्त में शेष	निस्तारण का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वाणिज्यिक कर	3	4,66,000	4,66,003	4,65,993	10	99.99
पंजीयन एवं मुद्रांक[9]	4,332	7,819	12,151	8,163	3,988	67.18
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	12,211	322	12,533	7,890	4,643	62.95

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने सभी प्रकरणों, जिनमें कर निर्धारण योजना के अन्तर्गत निस्तारित किये गये प्रकरण भी सम्मिलित हैं, का निस्तारण कर के बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रकरणों का निस्तारण वाणिज्यिक कर विभाग की तुलना में पंजीयन एवं मुद्रांक व खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग में काफी कम रहा। इन विभागों को प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कार्यवाही करनी चाहिए।

1.4 विभाग द्वारा खोजा गया कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार कर अपवंचन के 1,765 प्रकरण ध्यान में आये, जिसमें से 1,586 प्रकरणों में निर्धारण/जांच की जाकर शास्ति इत्यादि सहित राशि ₹ 4,951.46 करोड़ की मांग कायम की गई। विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल राशि ₹ 2,670.35 करोड़ की वसूली कर 89.86 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

1.5 रिफण्ड के बकाया प्रकरण

विभागों द्वारा बताये अनुसार वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में रिफण्ड के बकाया प्रकरणों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान रिफण्ड की अनुमति दिये गये प्रकरण एवं

[9] न्यायिक प्रकरण।

वर्ष 2017-18 के अंत में बकाया प्रकरणों की संख्या को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.5

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीयन एवं मुद्रांक	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	901	202.98	1,284	8.36
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	11,669	859.93	1,010	7.50
3	(i) वर्ष के दौरान निपटाये रिफण्ड के प्रकरण	7,517	843.89	1,113	7.27
	(ii) निरस्त प्रकरणों की संख्या	4,133	7.67		
4	वर्ष के अंत में बकाया प्रकरण	920	211.35	1,181	8.59

स्रोतः संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना ।

विभागों को रिफण्ड के बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु जरूरी कार्यवाही करनी चाहिए । यह न केवल दावाकर्ता के लिये लाभकारी होगा बल्कि इससे देरी से भुगतान किये गये रिफण्ड के प्रकरणों पर दिये जाने वाले ब्याज के भुगतान से भी सरकार की बचत हो सकेगी ।

1.6 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों का उत्तर

नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रावधानों के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के संधारण का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की मापक जांच के लिये महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर सरकार/विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं । निरीक्षण के दौरान पायी गयी अनियमितताओं, जिन्हें मौके पर ही निस्तारित नहीं किया गया हो, को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से इनको देखा जाता हैं । निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष एवं प्रतिलिपि उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु भेजते हुए जारी किये जाते हैं । कार्यालय अध्यक्षों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार करना होता है । उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना महालेखाकार को प्रस्तुत करनी होती है । गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें, विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं ।

दिसम्बर 2017 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति के विश्लेषण से पता चला कि 3,062 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 3,319.89 करोड़ राशि के 9,075 अनुच्छेद जून 2018 के अंत में बकाया थे । जून 2018 के आंकड़ों को विगत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ तालिका 1.6 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6

विवरण	जून 2016	जून 2017	जून 2018
निस्तारण हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	3,127	2,961	3,062
बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	9,129	8,691	9,075
सन्निहित राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	3,180.58	2,877.01	3,319.89

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में बकाया अनुच्छेदों और उनमें सन्निहित राजस्व राशि में बढ़ोत्तरी हुई है । अभी भी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के समय पर निस्तारण हेतु त्वरित अनुपालना की आवश्यकता है ।

1.6.1 विभागवार 30 जून 2018 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा अनुच्छेदों तथा उनमें सन्निहित राशि का विवरण तालिका 1.6.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.6.1

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा अनुच्छेदों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	553	2,106	459.21
2	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	489	1,536	78.93
3	भू-राजस्व	भू-राजस्व	77	312	284.11
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,429	3,420	393.92
5	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	120	262	71.30
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन, धातुकर्म उद्योग एवं पेट्रोलियम	394	1,439	2,032.42
योग			**3,062**	**9,075**	**3,319.89**

निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया होने से यह प्रकट होता है कि कार्यालय प्रमुखों और विभागों ने लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बतायी गयी त्रुटियों और अनियमितताओं के सुधार हेतु पर्याप्त कार्यवाही नहीं की ।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की शीघ्र प्रगति एवं निगरानी के लिये सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों[10] का गठन किया । वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति/लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण तालिका 1.6.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6.2

क्र.सं.	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वाणिज्यिक कर	4	-	-	-
2	परिवहन	1	2	-	-
3	भू-राजस्व	3	12	25	0.73
4	पंजीयन एवं मुद्रांक	4	13	815	36.22
5	राज्य आबकारी	2	-	-	-
6	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	2	2	86	6.99
योग		**16**	**29**	**926**	**43.94**

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों में आयोजित लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकों में राशि ₹ 43.94 करोड़ के 926 अनुच्छेदों का निस्तारण किया गया । परिवहन विभाग में लेखापरीक्षा उप-समिति की

[10] राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 1/2005 दिनांक 18 जनवरी 2005 के अनुसार संबंधित विभागों के सचिव एवं महालेखाकार/उनके प्रतिनिधि को शामिल करते हुये लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया और यह निश्चित किया गया कि लेखापरीक्षा समिति की एक बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाये । इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा उप-समितियों का गठन भी संबंधित विभाग के अधिकारियों व महालेखाकार के प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया ।

दो बैठक आयोजित की गई किन्तु कोई भी अनुच्छेद निस्तारित नहीं हुआ । वाणिज्यिक कर विभाग और आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा उप-समिति की किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया गया ।

वाणिज्यिक कर और परिवहन विभागों को बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु प्रयासों पर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों की अनुक्रिया

तथ्यात्मक विवरण जारी किये जाने के बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों को महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित कर यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर छः सप्ताह में भिजवा दें । सरकार/विभाग से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया जाता है ।

54 प्रारूप अनुच्छेदों को, 18 अनुच्छेदों में संकलित जिनमें एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी शामिल है, संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उनके नाम से अप्रैल और अक्टूबर 2018 के मध्य में प्रेषित किया गया । विभागों[11] के प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों द्वारा तीन प्रारूप अनुच्छेदों के उत्तर नहीं दिये गये (फरवरी 2019), जिनको उसी रूप में बिना सरकार के उत्तर के इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

राजस्थान राज्य विधान सभा की जनलेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्य विधियों के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधान सभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे । प्रतिवेदन को विधान पटल पर रखने के तीन महीने में सरकार द्वारा क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां जनलेखा समिति के विचारार्थ प्रेषित करनी चाहिए । इन प्रावधानों के होते हुए भी, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां विलम्ब से प्रस्तुत की जा रही थी । राजस्थान सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनमें (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) कुल 180 अनुच्छेद शामिल थे, को राज्य विधान सभा के समक्ष 18 जुलाई 2014 तथा 6 मार्च 2018 के मध्य प्रस्तुत किया गया । संबंधित विभागों से इन अनुच्छेदों पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां प्रत्येक प्रतिवेदन पर औसतन 40 दिवस विलम्ब से प्राप्त हुईं । जनलेखा समिति द्वारा वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 152 चयनित अनुच्छेदों पर चर्चा की गयी और 29 अनुच्छेदों पर इनकी सिफारिशों को आठ प्रतिवेदनों[12] (2017-18) में सम्मिलित किया गया ।

[11] विभागः परिवहन (1) और भू-राजस्व (2) ।

[12] आठ प्रतिवेदन मोटर वाहन कर (3), भू-राजस्व (3) एवं राज्य आबकारी शुल्क (2) से संबंधित हैं ।

1.7 आबकारी विभाग में लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विशिष्टता के साथ दर्शाये गये मुद्दों पर अपनायी गयी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये विगत पांच वर्षों के निरीक्षण प्रतिवदनों लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित अनुच्छेदों पर की गयी कार्यवाही के संबंध में एक विभाग का मूल्यांकन किया गया ।

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये प्रकरणों तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये प्रकरणों पर आबकारी विभाग के कार्य निष्पादन पर चर्चा आगामी अनुच्छेदों 1.7.1 से 1.7.2 में की गयी है ।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

आबकारी विभाग के अवधि 2013-14 से 2017-18 के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों तथा उनकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण तालिका 1.7.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष तक स्थिति	प्रारम्भिक शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निस्तारण			वर्ष के अंत में शेष		
	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि	नि.प्र.	अनुच्छेद	राशि
2013-14	156	349	325.58	17	92	20.12	64	227	265.33	109	214	80.37
2014-15	109	214	80.37	26	133	16.98	24	123	47.08	111	224	50.27
2015-16	111	224	50.27	17	50	15.38	23	97	10.58	105	177	55.07
2016-17	105	177	55.07	27	164	23.90	19	92	20.56	113	249	58.41
2017-18 जून 2018 तक	113	249	58.41	19	121	18.94	12	108	6.05	120	262	71.30

सरकार को पुराने अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा कार्यालय व विभाग के मध्य लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों का आयोजन एक निश्चित अन्तराल के बाद करना चाहिए । तथापि, वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा उप-समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गयी । सारभूत परिणाम प्राप्त करने के लिये प्रभावी व पुख्ता कदम उठाये जाने की आवश्यकता है ।

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों और स्वीकार किये गये प्रकरणों की वसूली की स्थिति

विगत पांच वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित आबकारी विभाग से संबंधित अनुच्छेद, जो विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और उनमें वसूली की गयी राशि का विवरण

तालिका 1.7.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.7.2

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकार किये गये अनुच्छेदों का मौद्रिक मूल्य	वर्ष 2017-18 के दौरान वसूली गयी राशि	स्वीकार किये गये प्रकरणों में 30 जून 2018 तक वसूली की समेकित स्थिति
2012-13	5	8.58	5	8.58	1.25	1.25
2013-14	7	5.90	5	5.14	0.44	0.44
2014-15	5	48.27	5	39.33	5.53	5.92
2015-16	3	8.25	2	6.69	1.66	1.66
2016-17	6	2.86	6	1.44	1.02	1.02
योग	**26**	**73.86**	**23**	**61.18**	**9.90**	**10.29**

विभाग द्वारा स्वीकार किये गये ₹ 61.18 करोड़ में से पांच वर्षों में सिर्फ ₹ 10.29 करोड़ वसूल किये गये । वसूली अनुच्छेदों की स्वीकार की गयी राशि का केवल 16.82 प्रतिशत थी ।

यह अनुशंसा कि जाती है कि आबकारी विभाग को सूक्ष्मता से वसूली पर निगरानी रखनी चाहिए ।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन कार्यरत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया था । वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण, जिसमें सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन में सन्निहित महत्वपूर्ण बिन्दु अर्थात् विभागों के वार्षिक प्रशासनिक/गतिविधि/सांख्यिकीय प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज, राजस्व की प्रवृत्ति, इकाई का विगत तीन वर्षों का औसत राजस्व, विभागों की वेबसाइट, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, मीडिया रिपोर्ट, राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त, विगत लेखापरीक्षा अवधि, विगत लेखापरीक्षा में पाये गए प्रकरण, विधान में किये गए संशोधन आदि शामिल हैं, के आधार पर तैयार की गयी थी । वर्ष 2017-18 में कुल 2,098 लेखापरीक्षा योग्य ईकाइयां थीं, जिनमें से 541 इकाइयों की योजना बनायी गयी और सभी इकाइयों की लेखापरीक्षा की गयी । अनुपालना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त 'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी की गयी ।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान की गयी स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभागों एवं अन्य कार्यालयों की 541 इकाइयों[13] के अभिलेखों की मापक जांच में 25,288 प्रकरणों में ₹ 1,026.66 करोड़

[13] कुल 317 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गए जिनमें 224 क्रियान्वयन इकाइयां भी शामिल हैं ।

राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 19,182 प्रकरण स्वीकार किये जिनमें राजकीय राजस्व राशि ₹ 205.83 करोड़ निहित थी, जिसमें से ₹ 58.71 करोड़ राशि के 7,820 प्रकरण वर्ष 2017-18 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2017-18 के दौरान 31 मार्च 2018 तक संबंधित विभागों ने 6,222 प्रकरणों में ₹ 30.33 करोड़ वसूल किये।

1.10 प्रतिवेदन में समाहित लेखापरीक्षा परिणाम

इस प्रतिवेदन में 18 अनुच्छेद समाहित हैं जिनमें 'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है। अनुच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 448.67 करोड़ हैं, जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव ₹ 88.40 करोड़ है। इनकी चर्चा अध्याय-II से VII में की गई है।

विभागों/सरकार ने ₹ 225.44 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की (फरवरी 2019), शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए। स्वीकार की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों में से विभागों द्वारा फरवरी 2019 तक ₹ 60.58 करोड़ राशि की वसूली की गई जो कि वर्ष 2017-18 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से की गई वसूली (₹ 30.33 करोड़) के अतिरिक्त थी। इस प्रकार, लेखापरीक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान की गई कुल वसूली ₹ 90.91 करोड़ थी।